



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273772
CG-DL-E-24062026-273772

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3238]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3238]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

का.आ. 3371(अ).— केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) के खंड 1 के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व 30 सितंबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, जहाँ तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम संख्या 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है जो भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 के 13) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एमओईएस/ पीएसीईआर / अंटार्कटिक अधिनियम/ सीएजी-ईपी/2023/ पीसी-1]

श्रीनिवास राव गांगी रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EARTH SCIENCES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2026

S.O. 3371(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 30th September, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 76 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Indian Antarctic Act, 2022 (13 of 2022), shall come into force.

[F. No. MoES/PACER/AntarcticAct/CAG-EP/2023PC-1]

SREENIVASA RAO GANGI REDDY, Jt. Secy.